Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

भारत में आधुनिकरण का प्रभाव

Manisha*

M.A., B.ed., Net (Hindi) Qualified, VPO Bass-District, Hisar, Haryana, India-125042

सार – ***आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत् एवं लगातार होने वाली क्रिया से है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी समाजों से प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन स्पष्ट होने लगे इससे समाज में भिन्नता दिखायी देने लगी एक तरफ परंपरागत समाज तथा दूसरी तरफ वे समाज जिनमें परिवर्तन हो रहे थे और आधुनिक समाज के रूप में नयी पहचान प्राप्त कर रहे थे इस स्थिति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया। अंग्रेजीकरण, यूरोपीयकरण, पाश्चात्यकरण, तथा शहरीकरण को आधुनिकीकरण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है। हमारे सम्मुख समस्या होती है कि वे कौन सी स्थितियाँ हैं जिन्हें हम आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मानें।***

----------X----------

प्रस्तावना

आधुनिकीकरण एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इच्छित परिवर्तन नहीं होते वास्तव में आधुनिकीकरण एक बहुदिशा में होने वाला परिवर्तन है न कि किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला परिवर्तन। वास्तव में जब हम परपंरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो हम आधुनिकीकरण की अवधारणा का ही प्रयोग करते हैं जैसा कि बैनडिक्स (1967) कहते हैं- ''आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य 1760-1830 में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति तथा 1784-1794 में फ्रांस की क्रांति के दौरान उत्पन्न हुए। बैनडिक्स की परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परंपरागत इंग्लैण्ड में औद्योगिकीकरण एवं फ्रांस में फ्रांस की क्रांति के कारण तत्कालीन समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों का अनुकरण यदि अन्य देश करते हैं तो इसे आधुनिकीकरण कहा जाएगा। कुछ विद्वानों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया, तो कुछ ने इसे प्रतिफल माना है। आइजनस्टैड (1969) ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया मानते हुए कहा है कि ''ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिका एशियाई व अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। गारे (1971) ने आधुनिकीकरण को एक जटिल अवधारणा माना है। इस सम्बन्ध में उनका तर्क है कि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। वस्तुतः आधुनिकीकरण से तात्पर्य परपंरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों से है। हालपर्न (1965) ने आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''आधुनिकीकरण रूपान्तरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपान्तरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। एलाटास (1972) के अनुसार ''आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्बद्ध समाज में अधिक अच्छे व संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आधुनिक ज्ञान को पहुँचाया जाता है। पई (1963) ने आधुनिकीकरण को ''व्यक्ति व समाज अनुसंधानात्मक व आविष्कारशील व्यक्तित्व का विकास माना है जो तकनीकी तथा मशीनों के प्रयोग में निहित होता है तथा नए प्रकार के सामाजिक संबंधों को प्रेरित करता है।

आधुनिकीकरण से तात्पर्य परपंरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों से है। हालपर्न (1965) ने आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''आधुनिकीकरण रूपान्तरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे

www.ignited.in

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपान्तरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। एलाटास (1972) के अनुसार "आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्बद्ध समाज में अधिक अच्छे व संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आधुनिक ज्ञान को पहुँचाया जाता है। पई (1963) ने आधुनिकीकरण को "व्यक्ति व समाज अनुसंधानात्मक व आविष्कारशील व्यक्तित्व का विकास माना है जो तकनीकी तथा मशीनों के प्रयोग में निहित होता है तथा नए प्रकार के सामाजिक संबंधों को प्रेरित करता है।"

आधुनिकीकरण के क्षेत्र

वास्तव में हमारे चारों ओर जो घटनाएं एवं तथ्य हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, जनशक्ति का मानवहित में उपयोग, अर्जित प्रस्थिति को महत्व व उसकी सक्रियता में वृद्धि, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रविधियों का उपयोग आदि वे विशेषताएं हैं, जो आधुनिकीकरण की प्रकृति तथा क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं। आर्थिक क्षेत्र में मशीनीकरण, औद्योगीकरण और सर्वाधिक आर्थिक सम्पन्नता आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परम्परागत शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, जिससे आत्मनिर्भर हुआ जा सके। आधुनिकीकरण का संकेत हैं। धर्म के क्षेत्र में पुराने कर्मकांडों, यज्ञ-हवन, तपस्वी का त्याग करके अधिक से अधिक बौद्धिक और नैतिक बनाना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना है। पारिवारिक और सामाजिक रीति-रिवाज तथा परम्परा से युक्त प्राचीन मूल्यों, आदर्शों व मान्यताओं के स्थान पर वर्तमान आधुनिक मूल्यों का पालन करना आधुनिकीकरण है। विवाह, खान-पान एवं पहनावे की प्राचीन परम्परा के स्थान पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उन्हें स्वीकार करना तथा उनके आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होना आधुनिकीकरण है। नगरीकरण, औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण, पंथ-निरपेक्षीकरण जैसी प्रक्रियाएं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत ही आती हैं। लवी (1954) ने आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। लवी का मत है कि "आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्त्रोंतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है व इन दो तत्वों में से प्रत्येक के सातत्य का आधार है।"

डेनियल लर्नर (2005) ने आधुनिकीकरण के पश्चिमी मॉडल को अपनाते हुए इसमें निहित निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है-

1. बढ़ता हुआ नगरीकरण;
2. बढ़ती हुई साक्षरता;
3. बढ़ती हुई साक्षरता से अन्य साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लागों के मध्य अर्थपूर्ण सहभागिता में वृद्धि होती है;
4. इससे मनुष्य की ज्ञान क्षमता में वृद्धि होती है जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाती है;
5. यह राजनीतिक जीवन में विशेषताओं को उन्नत करती है। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को आधुनिकता का मॉडल माना गया है। दुबे (2006) का मानना है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप समाज में तर्क, परानुभूति, गतिशीलता एवं सहभागिता बढ़ती है। वे इसमें मुख्य रूप से तीन तथ्यों को शामिल करते हैं-
    1. मानव समस्याओं के सामाधन के लिए जड़ शक्ति का प्रयोग (जैसे- पेट्रोल, डीजल, विद्युत एवं मशीनीकरण)
    2. जड़ शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप से, फलस्वरूप जटिल संगठनों का निर्माण हातेा है।

अतः जटिल संगठनों को गतिमान करने के लिए व्यक्तित्व में समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। श्रीनिवास (2005) ने आधुनिकीकरण के तीन प्रमुख क्षेत्रों का विवेचन किया है-

1. भौतिक संस्कृति का क्षेत्र (इसमें तकनीकि भी शामिल है।)
2. सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र
3. ज्ञान, मूल्य एवं मनोवृत्तियों का क्षत्रे। उपर्युक्त तीनों क्षेत्र भिन्न-भिन्न है, परन्तु इनके मध्य अंतर्निर्भरता एवं अंतर्संबद्धता का गुण पाया जाता है अर्थात एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन दूसरे क्षेत्र

को भी प्रभावित करता है। बी.वी. शाह (2007) ने आधुनिकीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया हुए इसे सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है।

ए.आर. देसाई (2008) आधुनिकीकरण का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं मानते, बल्कि आधुनिकीकरण को बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक आदि जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत मानते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा भी एक सशक्त भूमिका निभाती है। यह मूल्यों तथा धारणाओं एवं विश्वासों को परिवर्तित करके आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। शरद कुमार (2008) ने भारत में आधुनिकीकरण के चार आयामों-वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवंराजनैतिक की चर्चा की है। लर्नर (2009) के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीन स्तरों-नगरीकरण, साक्षरता एवं भाग लेने के साधनों से पूर्ण होती है। इसी तरह कोनेल (2011 ने भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तीन स्तरों का उल्लेख किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी अति व्यापक प्रक्रिया का संकेत है जिसके द्वारा एक समाज पारम्परिक या अविकसित संस्थाओं से ऐसी विशेषताओं जैसे औद्योगीकरण, लौकिकीकरण, नगरीकरण, विशेषीकरण परिष्कृत एवं उन्नत संचार एवं यातायात व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। माइरन वीनर (2013) ने आधुनिकीकरण को सम्भव बनाने वाले शिक्षा, संचार, राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा, चमत्कारी नेतृत्व, एवं अवपीड़क सरकारी सत्ता आदि कारकों की व्याख्या की है। योगेन्द्र सिंह ने आधुनिकीकरण के लिए सबसे प्रमुख उपकरण के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा को माना है

आधुनिकीकरण व सामाजिक परिवर्तन

विश्व के सभी समाजों में नयी परिस्थितियों व दशाओं के प्रति आग्रह रहा है किन्तु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उपरोक्त आग्रह से भिन्न प्रकार की है। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक राज्य, अल्पविकसित राज्य और समाज अपने से अधिक विकसित समाजों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाते हैं। सक्सेना (2014) ने आधुनिकीकरण व सामाजिक परिवर्तन को संबंधित करते हुए कहा कि कभी इसे परिवर्तन की प्रक्रिया तथा कभी इस इच्छित या आदर्श प्रकार के परिवर्तन के रूप में अर्थात जो समाज का लक्ष्य होना चाहिए, उस ओर अग्रसर माना जाता है। वर्तमान भारतीय समाज के परिपे्रक्ष्य में यदि आधुनिकीकरण को देखा जाय तो उदारीकरण के पश्चात् भारत में तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय समाज में भेदभाव के आधार पर आधारित जातिगत संस्तरीकरण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के मध्य शिक्षा के माध्यम से तार्किक मूल्यों का समावेश हो रहा है। लागे परम्परागत मूल्यों से किनारा करते हुए देखे जा सकते हैं। वर्तमान भारत में परंपरागत मान्यताओं व रवायतों के खिलाफ नकार की भावना देखने को मिलती है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों, समूहों एवं समाजों में विश्व के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ है। ये नवीन परिप्रेक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इसके प्रसार ने परपंरागत समाजों की संरचना को प्रबल रूप से प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्रता मिली है और कल्याण व विकास जैसे क्षेत्रों में नवीन संभावनाएं सामने आयीं हैं। इस प्रक्रिया ने धर्म निरपेक्षीकरण, औद्योगीकरण और नगरीकरण को भी प्रोत्साहन दिया है और सुदृढ़ता प्रदान की है। समकालीन युग में तृतीय विश्व के विकासशील देश आधुनिकीकरण के प्रति प्रबल रूप में आकर्षित और प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। भारत की बहु-प्रजातीय, बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषायी व बहु-क्षेत्रीय परिस्थितियों, समूहों और वर्गों में आधुनिकीकरण के प्रति स्वीकृति व ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति भी अलग-अलग रही है और यह प्रक्रिया समान रूप से सभी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर पायी है।

आज भी भारत की दो-तिहाई जनता गाँवों में निवास करती है जो परम्परावादी हैं और प्राचीन काल से चली आ रही परम्पराओं के पक्के अनुयायी हैं। लेकिन आधुनिकता से वे भी अछूते नहीं हैं। यातायात, रेल, संचार, मोटर समाचार पत्र, शिक्षा, प्रशासन, सामुदायिक योजनाओ ंआदि ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे भौतिक ही नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं। वहीं नए मूल्य, संबंध व अपेक्षाएं भी जन्म ले रही हैं। वास्तव में परम्परा व ग्राम व्यवस्था में एकरूपता व स्थिरता दिखाई देती है, परन्तु उसके विभिन्न आधारभूत सिद्धांतों में परिवर्तन हुए हैं और वे नये रूप को ग्रहण कर रहे हैं, परिवार, जाति, स्थानिकता, धर्म आदि के संदर्भ में भी आधुनिकीकरण हो रहा है। परिवार में व्यक्तिवाद का उभार हो रहा है, जो कि पहले सामूहिकता पर आधारित थे। वर्तमान में समूह में लिगं, आयु व संबंध के आधार पर अधिकार का निर्धारण न होकर योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर होता है। जाति के भेद में व्यवसाय, संस्तरण, कर्मकाण्ड व पवित्रता की धारणा में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। विवाह से संबंधित नियमों की कठोरता अभी

www.ignited.in

भी विद्यमान है। जाति सुधार आंदोलनो द्वारा विभिन्न जातियों के मेलजोल बढ़ रहे हैं। जजमानी प्रथा तथा व्यवसाय में परिवर्तन हुए हैं।

भारत में आधुनिकीकरण

रेडफील्ड ने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए 'परम्परा' की अवधारणा का प्रयोग किया है। रेडफील्ड का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परम्पराओं से होता है, जिन्हें दो भागों में बाँटकर समझा जा सकता है। इन दोनों परम्पराओं में पहली श्रेणी की परम्परा को हम वृहद् परम्परा और दूसरी श्रेणी की परम्परा को लघु परम्परा कहते हैं। वास्तव में हमारे व्यवहारों के तरीकों को परम्परा कहा जाता है। समाज में प्रचलित विचार, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति-रिवाज, आदतों आदि के संयुक्त रूप को ही मोटे तौर पर परम्परा कहा जा सकता है। जेम्स ड्रेवर (1976) ने परम्परा को कानून, प्रथा, कहानी तथा किवदन्तियों के उस संग्रह को परम्परा कहा है जो मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसी तरह जिन्सबर्ग (2011) ने भी उन सभी विचारों, आदतों और प्रभावों के योग को परम्परा कहा है, जो व्यक्तियों के एक समुदाय से सम्बन्धित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रहता है। योगेन्द्र सिंह (2014) ने किसी समाज की उस संचित विरासत को परम्परा कहा है, जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है, जैसे- मूल्य-व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा वैयक्तिक संरचना। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परम्परा विद्यमान थी, परन्तु वर्तमान समय में परिवार के सभी सदस्यों का साथ रहना सम्भव नहीं है। नौकरी, व्यापार तथा अन्य कारणों से पारिवारिक सदस्य अलग-अलग रहते हैं, लेकिन भारतीय परिवारों में 'एकल परिवार' होने के बाद भी परम्परागत प्रवृत्तियों दिखाई देती हैं। यथा, एकल बच्चे को उसके दादा-दादी, चाची-चाचाबुआ-फफूा, मामा-मामी व उनके बच्चों से लगातार सम्पर्क में रखना, उनके जन्मदिवस, त्यौहारों पर सभी का एकत्रित होकर छुट्टियों को प्रसन्नता से मनाना। भारतीय परम्परा में पुत्र का परिवार में होना अति आवश्यक माना जाता था। पुत्र के अभाव में यज्ञ, तप, दान को भी व्यर्थ माना जाता था। साथ ही पिता का अंतिम संस्कार करने, व श्राद्धकर्म करने का अधिकार भी पुत्रों को ही प्राप्त था।परन्तु आधुनिकता के प्रभाव ने इस परम्परागत सोच को चुनौती दे दी है। अब पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया जाता, यद्यपि हर गाँव या समाज में समान आधुनिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। अब छोटे परिवारों में 1 या 2 बच्चे होते हैं। चाहे वह पुत्र हो या पुत्रियाँ। अब तो लड़कियाँ पुरातन रूढ़ियों को तोडकर पिता का अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म भी कर रही मातृदवी की पूजा सिन्धुकाल से ही भारतीय समाज में प्रचलित थी, जिसे वैदिक काल में माता, पृथ्वी, अदिति आदि नामों से जाना गया। पुराणकाल में इसे पार्वती, दुर्गा, काली, महिषमर्दिनी भवानी आदि नामों से विभूषित किया गया। वर्तमान में कई नये नामों से (संतोष माता, वैभव माता आदि) इस मातृदवी की पूजा की जा रही है। इसी तरह व्रत, त्योहार आदि मनाने की पद्धति में बदलते समय के अनुरूप अनेक सुविधाजनक परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन इनका प्रचलन बदस्तूर जारी है। यही नहीं शादी-विवाह अन्य कई अवसरों पर फिजूलखर्ची और शानोशौकत का प्रदर्शन करने वाले भारतीय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए, निजी और सरकारी संस्थाओं के लिए या व्यक्तिगत रूप से भी असहाय लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम आधुनिकता के इस दौर में भी पारम्परिक विचारों के ही पोषक हैं। वर्तमान हकीकत यही है कि हम सभी आधुनिक समय, विचारों, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हैं। फिर भी हमने अपनी परम्पराओं को उनके परिवर्तित स्वरूप में जीवित रखा है।

भारतीय समाज में क्रियाशील परिवर्तन एवं निरंतरता की प्रवृत्तियों के संदर्भ में यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर दृष्टि डाली जाए तो निश्चित ही यह स्पष्ट होगा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जहाँ आज भारतीय समाज परिवर्तन एवं प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है एवं इसके तहत इसने विशिष्ट उपलब्धियाँ भी प्राप्त की है किन्तु यह भी दृष्टव्य है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने भले ही पूर्ण रूप से न सही किन्तु कुछ मात्रा में परम्परा व सामाजिक मूल्यों की परिवर्तित अवश्य किया है।

दलित महिलाएं एवं आधुनिकीकरण

महिलाओं के सामाजिक दर्जे एवम स्थिति को जाति व्यवस्था विशिष्ट तौर पर प्रभावित करती है। वह चाहे उच्च जाति की महिलाएँ हों या निम्न जाति की महिलाएँ; जाति व्यवस्था ने उनकी स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उच्च जाति की महिलाओं को कई प्रकार की निषिद्धियों एवं वर्जनाओं के बीच रहना पड़ता है, जबकि दलित महिलाएं इस संदर्भ में ज्यादा स्वतंत्र हैं। चूँकि जाति व्यवस्था में दलित महिलाएँ सम्माननीय नहीं समझी गयीं, इसलिए उन्हें लैंगिक वर्जनाओं एवं निषिद्धियों से मुक्त रखा गया। इन प्रतिबंधों एवं वर्जनाओं के कारण उच्च जाति की महिलाएं पुरुषों की अधीनता में जीने लगीं और उनके व्यक्तित्व का विकास रुक गया। उन्हें निजी वस्तु अथवा घर की वस्तु समझ लिया गया। दूसरी तरफ, दलित महिलाएं अपने परिवार के लिए धन कमाने हेतु घर से बाहर निकलकर कार्य करती हैं और

उच्च जाति की महिलाओं से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं। वस्तुतः दो कारणों से जाति व्यवस्था महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। प्रथम, पुराने सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए एवं जातिगत वचसर्वता को कायम रखने के लिए। महिलाओं पर जब सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं सीमाएं लगायी जाती हैं तो उनसे महिलाओं की अधीनता वाली स्थिति को बनाए रखने में सहायता मिलती है। दूसरे, यह सच है कि दलित महिलाओं को आजीविका तलाशने की एवं कार्य करने की छूट है तथापि इसे महिला सशक्तीकरण का तत्व नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दलित महिलाएं इस तरह के कार्य विवशता एवं मजबूरी वश अपने परिवार एवं बच्चों के पालन-पोषण के लिए करती हैं। उनकी जातिगत स्थिति के कारण उनके व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं और सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से जाति व्यवस्था उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं उपलब्ध कराती। इस प्रकार देखें तो जाति-व्यवस्था ने न सिर्फ ऊँची जातियो के वर्चस्व को बनाए रखा है बल्कि महिलाओं की अधीनता एवं निर्भरता की स्थिति को भी बनाए रखने में अहम् भूमिका अदा की है। दलित महिलाएं समान अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपभोग करती हैं क्योंकिसामान्यतः दलित परिवारों में पुरुष एवं महिलाओं में कार्य विभाजन नहीं होता, किन्तु जाति-संरचना के उच्च सोपान पर प्रतिष्ठापित समाजों में महिला एवम पुरुष के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, और यह विभाजन जातिगत संरचना के स्तरीकरण में ऊपर ओर की बढ़ता जाता है, यधपि एक सीमा तक परिवार की आर्थिक प्रस्थिति इसे प्रभावित अवश्य करती है।

अध्ययन की आवश्यकता

समाज में किसी भी वर्ग की महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकार और उनकी समस्याओं का अध्ययन उनकी पारिवारिक संरचना में ही संभव है। परिवार में महिलाओं की माँ, पत्नी, बहू, बहन के रूप में पृथक-पृथक भूमिका होती है। इस स्थिति में सामान्य नारी अधिकार, परिवार के व्यवस्थापरक ढाँचे पर निर्भर करते हैं। यह तो निर्विवाद तथ्य है कि लैंगिक असमानता के व्यवहारिक कारणों से महिलाओं को अपने घर परिवार व समाज में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है।46 किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ-साथ समाज में व्यावहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हुए हम देखते हैं कि कानूनी व सैद्धान्तिक संदर्भों में महिलाओं के अधिकारों व अवसमें में कोई कमी नहीं है, परन्तु व्यावहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहँच सके हैं। जब हम महिला समानता एवं सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला की स्थिति का आकलन लैंगिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कार्यात्मक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन अवधि, सुरक्षा, सार्वजनिक/निजी जीवन में निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता आदि।

चूँकि दलित महिलाओं के पास सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता नहीं होती इसलिए समाज का सबल सत्ताधारी वर्ग उन्हें कमतर और अपमान के योग्य ही समझता है। दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके दर्जे का मानक उनकी जाति और वर्ग तथा उनका जेडंर यानी उनका औरत होना ही निर्धारित करता है। ऊँची जातियों द्वारा अपने सामाजिक ढाँचे की चैकसी दलित महिलाओं पर प्रतीकात्मक व शारीरिक हिंसा करके की जाती है। राज्य का दमनकारी और वैचारिक ढाँचा भी इस जाति-वगर्-वर्ण पदानुक्रम को बरकरार रखने में ऊँची जाति को पूरा सहयोग प्रदान करता है। अधिकतर मामलों देखा गया है कि हिंसा करने वालों के साथ राजनैतिक सत्ताधारियों की ताकत होती है।49 परिवार में भेदभाव के कुछ प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और स्वास्थ्य देख रेख में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मिलने वाला कम भाग, संसाधन संग्रह में सहभागिता होने पर भी उनके पुनर्वितरण में असमानता, बच्चों के लिये पौष्टिक आहार का दायित्व और मुख्यतः गरीब और दलित परिवारों की आर्थिक दशाओं में पिता की अपेक्षा माता की आय पर बच्चों की निर्भरता आदि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका परिवार के अंदर ही मूल्याकंन किया जा सकता है।50 आज भी दलित परिवारों में लड़कियों को स्कूल भेजने पर विरोध किया जाता है क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में यह सोच बैठी हुई है कि लड़की असुरक्षित है। परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर समय से पहले थोप दी जाती हैं। माता-पिता लड़कियोंको बोझ मानते हुए जल्द से जल्द उनका विवाह करने की कोशिश करते हैं जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक ताने-बाने में बंधने को मजबूर हो जाती हैं और वो शिक्षित नहीं हो पाती है। इसके अलावा दलित लड़कियों को माता-पिता अपने आर्थिक तंगी को देखते हुए

www.ignited.in

काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उन लड़कियों की शिक्षा अवरूद्ध हो जाती है।

स्त्री की स्वतंत्रता का प्रश्न सभी उत्पीड़ितों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। स्त्री जहाँ भी जिस वर्ग का हिस्सा है, वहाँ वह पुरुषों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न की शिकार होती है। यही नहीं, यदि वह मौजूदा राजसत्ता का हिस्सा बन भी जाती है तो भी वह उस पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती। इसके विपरीत संभावना इस बात की ज्यादा होती है कि वह स्वयं इस मानसिकता की शिकार हो जाए। इसलिए सवर्ण स्त्रियाँ हों या दलित स्त्रियाँ, सत्ता या सफलता के शिखर तक उनके पहुँचने को उन वर्गों की स्त्रियों की उपलब्धि समझना समाज की पूरी सच्चाई को जानबूझकर नकारना है। देखना यह होगा कि वे अपने वर्गा के पुरुषों की तुलना में कहाँ खड़ी हैं? यही वह बिंदु है जहाँ दलित और स्त्री आंदोलन के हित एक-दूसरे से जुड़ते हैं।53 अधिकांश दलित महिलाएं काम की तलाश में निकलती हैं और सब्जी बेचना, झाड़ू-पोछं लगाना, इस्त्री करना, दाई आदि का कार्य करती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा असुरक्षित भी वही हैं, लेकिन यही परिस्थितियाँ उन्हें अन्य महिलाओं के मुकाबले निडर और जुझारू बनाती हैं और विपरीत परिस्थितियों में रहना सिखाती हैं।54 स्त्री पुरूष में समानता के मूलभूत अधिकार की दुहाई देने के बाद भी कामकाजी महिलाओं के प्रति, काम पर रखने से लगाकर, वेतन, अवकाश काम के घंटे और अन्य सुविधाओं के मामलों में वर्तमान समय में भी भेदभाव विद्यमान है। अन्य प्रकार से उनके यौन शोषण आदि की बात अलग ही है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय और अधिक ही पाया जाता है।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का दलित महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जिसमें आधुनिकीकरण के तत्वों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र (नगर) एवं सबसे कम प्रभावित क्षेत्र (ग्राम) की दलित महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक प्रस्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का दलित महिलाओं की परिवार में स्थिति, समाज में स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में स्थिति तथा इन महिलाओं के दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है, कौन-कौन से क्षेत्रों में यह प्रभाव सकारात्मक रहा है और किन-किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव नकारात्मक हुआ है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु किसी भी योजना/कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेंगे, ऐसी शोधार्थी को आशा है।

सन्दर्भ सूची

1. बनेडिक्स, आर0 (2016), ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी रिकंसीडर्ड, कम्परेटिव स्टडीज इन सासोईटी एण्ड हिस्ट्री, वा-9, पृ0 326
2. आईजनस्टैड, एस0एन0 (2017), मॉडर्नाईजेशन: प्राटेस्ट एण्ड चेन्ज, प्रेन्टिस हाल ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ0 1. 3
3. पई, डब्ल्यू0एल0 (एडी0) (2016), कम्युनिकेशसं एण्ड पॉलिटेक्निकल डेवलपमेटं, प्रिंस्टन युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूजर्सी, पृ0 3-4.
4. कुमार, शरद (2014), भारतीय समाज, भारत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, पृ0 7-8.
5. अमर उजाला, रूपायन, 24 सितम्बर, 2010 पृ0 2.
6. सिंह, योगेन्द्र (2014), माडर्नाइजेशन ऑफ़ इण्डियन ट्रेडिशन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
7. रूथ, मनारेमा (2008), हिसां, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलायें, हम सबला, सितम्बर-अक्टबूर, पृ0 1-3.
8. सुरजन, सर्वमित्र (2012), 21वीं सदी, दलित महिलाएँ और उनके अधिकार, मानवाधिकार: नई दिशाएँ वार्षिक, अकं-9, पृ0 27.
9. पारख, जवरीमल्ल (2014), स्त्री एवं दलित आंदोलन के लक्ष्य एक हैं, युद्धरत आम आदमी, अकं-70, जनवरी-मार्च, पृ0 2-4.
10. वलोसकर, पद्मा (2008), जाति, वर्ग और पितृसत्ता के त्रिकोण में दलित महिला दमन, हम सबला, सितम्बर-अक्टबूर, पृ0 4-6.
11. सारस्वत, स्वप्निल एवं निशांतसिंह (2007), समाज राजनीति और महिलाएं- दशा और दिशा (श्रमिक महिलाओं का संघर्ष), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 67.

12. पाटिल, स्मिता (2008), दलित महिलाओं के सामाजिक दर्जे का चित्रण, हम सबला, सितम्बर-अक्टूबर, पृ0 30.

Corresponding Author

Manisha*

M.A., B.ed., Net (Hindi) Qualified, VPO Bass-District, Hisar, Haryana, India-125042